International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षाः संपोषणीय विकास के संदर्भ में नई शिक्षा नीति का विश्लेषण

सोना ओझा[1], प्रोफेसर गोपाल प्रसाद[2]

[1]रिसर्च स्कालर, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

[2]प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

सारांश-

मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा का योगदान अतुलनीय है। प्राचीन भारत में ऋषियों द्वारा उनके शिष्यों को जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को विवेकशील बनाना था, समय के साथ शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवनयापन तक ही सीमित हो गया है, इसी कारण शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण होना समय की आवश्यकता है, जिसके लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

यू० एन० द्वारा अपनाए गए संपोषणीय विकास लक्ष्यों का चतुर्थ लक्ष्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, जिसका तात्पर्य है कि "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, जो आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करे"। यह शोध पत्र में भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बनाई गई विभिन्न नीतियों का विश्लेषण किया जाएगा। भारत की नई शिक्षा नीति का संपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या योगदान है, इस शोध पत्र के माध्यम से इसे जानने का प्रयास किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य का एक बिन्दु तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास भी है। शोध पत्र के एक भाग में भारत में कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी।

कीवर्ड: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई शिक्षा नीति, संपोषणीय विकास, ई- लर्निंग

प्रस्तावना-

विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् ।
पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम् ॥

अर्थात:- विद्या विनय (विनम्रता) देती है, विनय से पात्रता (योग्यता) आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख प्राप्त होता है भारतवर्ष में प्राचीनकाल से ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को विवेकशील बनाना रहा है। शिक्षा हमारे मस्तिष्क की कल्पनाओं को आकार प्रदान करती है, यह राष्ट्रों की समृद्धि की वह कुंजी है, जो व्यक्ति को एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील समाज में उसका सर्वोत्तम योगदान देने को प्रेरित करती है। अफ्रीका के पूर्व प्रधानमंत्री नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि "शिक्षा विश्व में परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हथियार है।" शिक्षा समाज के विकास का मुख्य आधार है, इसी तथ्य को ध्यान रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005-14 के दशक को संपोषणीय विकास के लिए शिक्षा के दशक के रूप में मनाया, जिसके तहत पृथ्वी तथा उसके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया गया। यहाँ संपोषणीय विकास का अर्थ जानना आवश्यक है, संपोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का उनकी आवश्यकतानुसार इस प्रकार प्रयोग किया जाए, जिससे की वह आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें। यह आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। समय की आवश्यकता को देखते हुए सार्वभौमिक रूप से संपोषणीय विकास को अपनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में 17 संपोषणीय विकास लक्ष्य निर्धारित किए जिन्हें वर्ष 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। संपोषणीय विकास का चतुर्थ लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, जो समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अंतर्गत सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रदान करने की मांग करता है। संपोषणीय विकास के सभी लक्ष्यों की पूर्ति में चतुर्थ लक्ष्य अत्यंत महत्व रखता है, क्युकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही वह माध्यम है जो लोगों में पृथ्वी, उसके पर्यावरणीय विकास, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक अवसंरचनाएँ, स्त्री-पुरुष समानता, आर्थिक विकास में तकनीकी योगदान आदि के बारे में जागरूक कर सकती है। संपोषणीय विकास पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की चार मुख्य उद्देश्य हैं:- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विभिन्न स्तर पर सभी के लिए एकसमान पहुँच, शिक्षा की गुणवत्ता के साथ अध्ययन सामग्री, उसकी प्रासंगिकता तथा लर्निंग आउट्कम पर ध्यान देना, शिक्षा की सभी तक समान पहुँच तथा संसाधनों की समानता पर अधिक ध्यान, सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण के साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता।

भारत में वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा "सर्व शिक्षा अभियान" प्रारंभ किया गया, जिसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर पहला कदम माना जा सकता है। इस अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाना था की भारत के सभी बच्चों को गुणवत्तापरक तथा निशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(क) जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राज्य कानून द्वारा निर्धारित 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला 135वाँ राष्ट्र बन गया। भारत सरकार ने संपोषणीय विकास के लिए शिक्षा को आधार बनाकर अनेक नीतियाँ तथा कार्यक्रम बनाए हैं। वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। भारत के लिए विश्व बैंक के शिक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि "शिक्षा का अधिकार अधिनियम दुनिया का पहला

ऐसा कानून है, जो नामांकन, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सरकार पर डालता है, जबकि अमेरिका तथा अन्य देशों के स्कूलों में बच्चों को भेजने के जिम्मेदारी माता-पिता की होती है।" भारत में सामाजिक विभाजन शिक्षा में पिछड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक रहा है। स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भी ग्रामीण इलाकों में बालिकाओं तथा अनुसूचित जातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में काफी कमी दृष्टिगत होती रही। 21वीं सदी में भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान के अनेक प्रयास किए, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा, निशुल्क शिक्षा के साथ मिड डे मील योजना, आंगनवाड़ियों का निर्माण, जैसे अनेक प्रयासों के बाद प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश में वृद्धि तो हुई, किन्तु शिक्षा की गुणवत्ता में अभी भी सुधार की अपेक्षा थी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बहुआयामी शब्द है। इसके लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार प्रत्येक दिशा में उपयुक्त कदम उठाने को प्रयासरत है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग पर भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कदम:-

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन ए एस) के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) के द्वारा समय समय पर कक्षा 3,5,8 और 10 में सीखने की उपलब्धि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करती है। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण उपकरण में गणित, भाषा, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में कक्षा 3 और 12 में 50 प्रश्न, कक्षा 8 में 60 प्रश्न, कक्षा 10 में 70 प्रश्नों के साथ कई परीक्षण पुस्तिकाओं का उपयोग किया गया। इस सर्वेक्षण के द्वारा राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में विभेद का पता लगाया जाता है।

शिक्षकों की योग्यता में वृद्धि हेतु भी भारत सरकार प्रयासरत है। इसके अंतर्गत अभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में अप्रशिक्षित प्रारम्भिक शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 32(2) में संशोधन किया गया है। इस प्रशिक्षण का संचालन नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को सौंपा गया है, जिसे ओपन डिस्टन्स लर्निंग मोड से पूरा किया जा सकेगा। साथ ही शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चार वर्षीय एकीकृत बी० एड० पाठ्यक्रम की संकल्पना रखी गई। इसके लिए तैयार किए गए मॉडल पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा, आई० सी० टी०, योग, स्वच्छता, लिंग, स्वास्थय, वैश्विक नागरिकता शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित किए गए।

आर. टी. ई. संशोधन अधिनियम, 2018 के अंतर्गत सरकार यह निर्णय ले सकती है की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में रोका जाए अथवा नहीं। सरकार का मानना है की यह अधिनियम बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार करना चाहता है। केंद्र सरकार ने तीन केन्द्रीय पूर्ववर्ती योजनाओ (सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, केन्द्र प्रायोजित शिक्षक शिक्षा योजना) को मिलाकर एक एकीकृत समग्र शिक्षा योजना प्रारंभ की है, जो प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को एक रूप में देखती है, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

भारत सरकार ने ई- लर्निंग के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए हैं, जिसमे "स्वयं" (SWAYAM- Study webs of active learning for young aspiring minds) मैसिव ओपन अनलाइन कोर्स का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जिसे शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों पहुँच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य उन छात्रों के मध्य डिजिटल विभाजन को भरना है, जो ई - क्रांति से वंचित रह गए, और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं हो सके। इसे अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रमों को कहीं से भी, किसी के भी द्वारा, किसी भी समय अक्सेस किया जा सकता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली पाठ्य सामग्री को छात्रों तक पहुंचाने हेतु ए०आई०सी०टी०ई०, यू०जी०सी०, एन०सी०ई०आर०टी० जैसे 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। स्वयंप्रभा डी० टी० एच० टीवी के अंतर्गत 32 शैक्षिक चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जो शैक्षिक ई-सामग्री के प्रसारण के लिए उपग्रह संचार प्रोद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

भारत की शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख बाधाएँः-

हम स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, किन्तु अभी तक विश्वविद्यालयों की विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान तक केवल 1-2 उच्च शिक्षण संस्थान ही अपना स्थान बना पाए हैं। शीर्ष 500 शिक्षण संस्थानों में कुछ मुट्ठी भर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान ही अपना स्थान पाना पाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात कई सरकारें बदली, अनेक आयोगों का निर्माण हुआ, किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी अनेकों सुधारों की आवश्यकता है, हालांकि अब उन सुधारों की पहल की जा रही है तथा पिछले एक दशक में नामांकन, गुणवत्ता, अध्यापक शिक्षा आधारभूत संरचना आदि को बेहतर बनाने के प्रयास लगतार किए जा रहे हैं।

1. आधारभूत संरचना का अभावः भारतीय शिक्षण संस्थाओं में बिल्डिंग्स, पुस्तकालय, पीने के पानी, शौचालय समेत अनेक आधारभूत संरचनाओं की कमी दृष्टिगत होती है। अनेक प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवनों में चल रहे हैं, शौचालय या तो नहीं हैं और यदि हैं तो प्रयोग करने योग्य नहीं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में हॉस्टल कई वर्ष पुराने भवनों में हैं। आधारभूत संरचना की समस्या राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में अधिक है।
2. नामांकन की कमीः शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पश्चात प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में तो सुधार देखा जा सकता है, किन्तु उच्च शिक्षा में नामांकन अभी भी कम है। उच्च शिक्षण संस्थाओं का प्रत्येक जिले में होना आवश्यक है, जिससे छात्रों तथा छात्राओं की उन तक पहुँच आसान हो सके। यह लक्ष्य नई शिक्षा नीति में रखा गया है।
3. सकल नामांकन अनुपात में विभेदः भारत भौगोलिक तथा सामाजिक विविधता वाला राष्ट्र है, यह उच्च शिक्षण संस्थाओं के सकल नामांकन अनुपात में बालकों तथा बालिकाओं में असमानता है। साथ ही इस अनुपात में विभेद क्षेत्र तथा राज्य आधारित भी हैं। कुछ राज्य शिक्षा तथा साक्षरता के मामले में अन्य कई राज्यों से आगे हैं।
4. शिक्षा की गुणवत्ताः शिक्षा में गुणवत्ता एक बहु-आयामी, बहु-स्तरीय तथा गतिशील संकल्पना है। शिक्षा में गुणवत्ता को स्थापित कर पाना आज भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, यद्यपि भारत सरकार इसके लिए अनेक

प्रयास कर रही है, तथापि भारत के कई शिक्षण संस्थान यूजीसी के मानकों के अनुसार नहीं हैं। अनेक सरकारी और गैर सरकारी सर्वे यह बताते हैं कि भारत में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले आधे से अधिक छात्र नौकरी के योग्य नहीं हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था डिग्री प्राप्त करने पर अधिक केंद्रित है, कुशलता प्राप्त करने पर नहीं।

5. भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण समस्या छात्रों तथा छात्राओं का सरकारी नौकरियों पर पूरी तरह केंद्रित होना है। भारत का युवा अधिकांशतः स्नातक तथा परास्नातक के बाद सरकारी नौकरियों की तैयारी में आओने कई वर्ष लगा देता है, भारत के 25 से 35 वर्ष के अधिकांश युवा या तो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं या सरकारी नौकरी की लालसा में कोई ऐसा प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं जिससे बस उनका खर्च निकाल आए। ऐसे में वे अपना अमूल्य योगदान राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में नहीं दे पाते। जब शिक्षण संस्थानों की डिग्री केवल रोजगार दिलाने का माध्यम बनी रहें, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान कैसे जाएगा?
6. छात्र शिक्षक अनुपातः भारत में योग्य शिक्षकों की कमी होना एक गंभीर समस्या है। शिक्षक बाइ चांस नहीं, अपितु बाइ चॉइस होने चाहिए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार ने शिक्षकों की समय समय पर ट्रेनिंग को अनिवार्य बनाया गया है। छात्र शिक्षक अनुपात को भी 30ः1 से कम रखने की बात की गई है। शिक्षकों की योग्यता को मापने के लिए नए मानक तय किए जाने चाहिए, जिससे शिक्षक तथा छात्र संबंधों को सुधारने की भी आवश्यकता है, जिससे कोचिंग सीस्टम को समाप्त किया जा सके।
7. अनुसंधान तथा नवाचारः भारत ग्रेट माइंड्स वाला राष्ट्र है, किन्तु उचित संसाधनों के अभाव में वह मुख्यधारा में नहीं आ पाते। भारत में अनुसंधान के लिए उचित प्रयोगशालाओं और संसाधनों की कमी है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार पीएचडी डिग्री अवॉर्ड करने में भारत का विश्व में चैथा स्थान है। भारत प्रत्येक वर्ष लगभग 24 हजार पीएचडी डिग्री प्रदान करता है। हालांकि अभी भी शोध की गुणवत्ता उतनी बेहतर नहीं है। शोध में नवाचार के लिए शोध छात्रों के पास वित्त तथा अन्य संसाधनों की कमी को पूरा करना आवश्यक है। फंड की कमी के कारण अभी भी कई शोध छात्र अपनी फेलोशिप समय पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

भारत सरकार प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा, तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास को महत्व देने के लिए अनेक प्रयास कर रही है, हालांकि इन्हे काफी पहले ही शुरू किया जाना चाहिए था, क्युकी एक सुरक्षित भविष्य की कल्पना केवल विवेकशील और शिक्षित हाथों में ही की जा सकती है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संपोषणीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, और यह भारत सरकार की सभी नई नीतियों में दृष्टिगत हो रहा है। संपोषणीय विकास के चतुर्थ लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की नई शिक्षा नीति, 2020 एक महत्वपूर्ण आधारशिला है।

नई शिक्षा नीति, 2020:-

तत्कर्म यन्न बन्धाय ***सा विद्या या विमुक्तये।***

आयासायापरं कर्म विद्यऽन्या शिल्पनैपुणम॥

विष्णु पुराण के प्रथम स्कंध उन्नीसवें अध्याय के 41 वे श्लोक के अनुसार कर्म वह है जो बंधन में डाले, विद्या वह है जो मुक्त कर दे। अन्य कर्म केवल श्रम मात्र हैं और अन्य विद्यायें केवल यांत्रिक निपुणता है। शिक्षा वह है जो हमे मुक्ति प्रदान करे, बंधनों में बांधने वाली शिक्षा राष्ट्र तथा समाज को विकसित नहीं कर सकती। शिक्षा वह है जो हमें स्वयं को समझने का ज्ञान प्रदान करे, जिससे व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार विद्या प्राप्त कर अपने जीवन को स्वयं के लिए तथा राष्ट्र के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त बना सके। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति इस ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत की पुरातन संस्कृति तथा शिक्षा पद्धति को दुबारा सँजोने के एक प्रयास है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में वैश्विक मंच पर नेतृत्व भारत की निरंतर प्रगति की कुंजी है, जिसे पूर्ण करने हेतु इस नीति का निर्माण किया गया है। सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास तथा उसके नागरिकों के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। नई शिक्षा नीति, 2020 को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमे पहला और दूसरा भाग क्रमशः विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा पर आधारित हैं, तीसरा भाग अन्य आवश्यक क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का विकास, तकनीक का प्रयोग, अनलाइन शिक्षा आदि पर आधारित है। चैथा भाग क्रियान्वयन तथा वित्त पर आधारित है।

इस नीति के तहत स्कूली शिक्षा की पूर्ववर्ती 10+2 की संरचना को परिवर्तित कर 5+3+3+4 कर दिया गया, जिसमे 3 से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों को रखा जाएगा। 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बचपन की देखभाल तथा शिक्षा (Early Childhood Care and Education) एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीईआरटी के द्वारा निर्मित किया जाएगा। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछले हुए क्षेत्रों में आंगनवाड़ी को और सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा तथा उन्हे प्राथमिक विद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करने की योजना बनाई जाएगी। लिखने-पढ़ने की क्षमता तथा संख्याओं का प्रारम्भिक ज्ञान, जिसे बुनियादी साक्षरता कहा जाता है, प्रत्येक छात्र की जीवन भर की शिक्षा की आधार शिला होती है, विभिन्न सर्वे यह बताते हैं की भारत बुनियादी साक्षरता में काफी पीछे है। वर्ष 2025 तक सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मकता का लक्ष्य रखा गया है। छात्र शिक्षक अनुपात सभी विद्यालयों में 30:9 से कम हो, जबकि सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछले हुए क्षेत्रों में यह अनुपात 25:9 से कम किया जा सकता है। कक्षा 6 से 8 तक का सकल नामांकन अनुपात 90.9 प्रतिशत है, जबकि कक्षा 11 तथा 12 के लिए 56.5 प्रतिशत, जिससे यह ज्ञात होता है कि बच्चों की काफी संख्या 17 वर्ष की होने तक शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाती है। अतः सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण तथा आकर्षक बनाना अवश्यक है जिससे बालकों का शिक्षा हेतु ललक बनी रहे।

इस नीति के अंतर्गत यह उपाय भी किए जाएंगे जिससे यदि किसी कारणवश किसी बच्चे की शिक्षा छूट गई हो तो वह कुछ समय बाद भी मुख्य धारा में लाया जा सके। ओपन स्कूलिंग को राज्य स्तर पर भी सशक्त बनाया जाना चाहिए।

विद्यार्थियों के विषयों के चुनाव को और अधिक लचीला बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषा रखने पर बल दिया गया है, जो की बच्चों में उनकी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होगा। माध्यमिक शिक्षा में कला, मानविकी, विज्ञान जैसी श्रेणियों को समाप्त करने की मांग की गई है, जिससे विद्यार्थियों को विषयों के चुनाव में अधिक स्वतंत्रता तथा लचीलापन प्राप्त होगा, माध्यमिक शिक्षा में ही व्यावसायिक कौशल के विषयों की शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए भी अनेक प्रयास किए जाएंगे। शिक्षकों के लिए मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति तथा वेतन की व्यवस्था बनाई जाएगी।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। महाविद्यालयों को मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वे कालांतर में डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय बने। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले या उसके समीप कम से कम एक बहु-विषयक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। इस नीति का लक्ष्य है की उच्च शिक्षा संस्थानों मे वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत डिग्री प्राप्त करने के मानक परिसर में संचालित कार्यक्रमों के समतुल्य होंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे, इसके विज्ञान, कला और मानविकी के साथ ही व्यावहारिक कौशलों को भी प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा में मूल्य आधारिक विषयों को सम्मिलित करने की बात की गई है, जैसेः जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, वन्य जीव और वन्य संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण, सतत विकास तथा मानवीय, नैतिक और संवैधानिक विषय। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थान अपने तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएंगे। स्नातक तथा परास्नातक कार्यक्रमों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अपनाया जाएगा। एक अकादमिक क्रेडिट बैंक स्थापित किया जाएगा, जो उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को संकलित करेगा, जिससे प्राप्त क्रेडिट के आधार पर डिग्री प्रदान की जा सके। डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में इस प्रकार बदलाव किया जाएगा कि व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा अथवा 3 वर्ष पूर्ण करने पर डिग्री प्राप्त होगी।

नई शिक्षा नीति के तहत भारत की शिक्षा पद्धति के अंतराष्ट्रिकरण की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। अन्तराष्ट्रिय छात्रों को भारतीय भाषाओं, आयुष पद्धति, योग आदि विषयों ओर शोध हेतु प्रेरित किया जाएगा, जिसे भारतीय छात्र भी प्रेरित होंगे। शिक्षण के क्षेत्र में प्रोद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रोद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा, जिसका कार्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रोद्योगिकी के प्रयोग को सुगम बनाना होगा। यह मंच शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा नवाचार मे भी सहायक होगा। किसी भी नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन पर आधारित होती है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए अनुसंधान, नवाचार, भारतीय भाषाओं का महत्व, शिक्षण संस्थाओ में महत्वपूर्ण परिवर्तन, शिक्षा की संरचना में परिवर्तन, भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक पहुँच जैसी

कई क्रान्तिकारी मानकों को प्रस्तुत करती है। इसकी सफलता के लिए निश्चय ही राज्य सरकारों द्वारा भी उचित कदम उठाए जाएंगे। इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा तथा शिक्षण संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने की अवश्यकता है।

कौशल विकास तथा उद्यमशीलता:-

गुणवत्तापरक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम व्यक्ति में कुशलता का विकास करना है, जिससे वह जीवनयापन के नए तरीके अपना सके तथा राष्ट्र की समृद्धि में अपना उचित योगदान दे सके। भारत में कौशल विकास योजना को वर्ष 2015 में अपनाया गया, 2020 से इसका तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है। सेंटर फॉर मोनिटेरींग इंडियन ईकानमी के फरवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 7.45 प्रतिशत रही है। बेरोजगारी का एक बड़ा कारण युवाओं में कुशलता तथा उद्यमशीलता के प्रति जागरूकता में कमी है। सर्वाधिक युवाओं वाला देश होने बावजूद भी भारत में उचित प्रशिक्षित कार्यबल की कमी के कारण उन्हे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है तथा उद्यमों में मानव संसाधनों की कमी बनी रहती है। कौशल विकास योजना का उद्देश्य व्यक्ति को आजीवन सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से उसकी क्षमता का अहसास कराना, बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करके सशक्तिकरण का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, जिससे नवाचार आधारित उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए युवाओं में उद्यमशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। युवाओं का सरकारी नौकरियों के प्रति जो अंधाधुंध क्रेज है, उसके उद्यमशीलता की ओर मोड़ना भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे पूरा करने के लिए कौशल विकास योजना में नवाचार आधारित उद्यमों के लिए मुद्रा ऋण देने की भी व्यवस्था की गई, किन्तु यह देखा गया है कि कौशल योजना में भाग लेने वाले युवाओं में से केवल कुछ ही प्रतिशत ने मुद्रा ऋण के लिए आवेदन किया। इस समस्या को सुलझाने के लिए कौशल प्रशिक्षण को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए इस योजना पर और अधिक धन खर्च किया जाना चाहिए। ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। प्रशिक्षण संस्थानों को उद्यमों तथा उद्यमियों से जुड़कर कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थानों में भी नए युवा उद्यमियों को समय समय पर आमंत्रित कर छात्रों का मार्गदर्शन करने तथा उन्हे प्रेरित किया जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में भारत में नवाचार आधारित उद्यमों में वृद्धि हुई है। नए उद्यमी राष्ट्र की समृद्धि में कई प्रकार से योगदान देते हैं, वे रोजकर सृजन करते हैं, देश की आर्थिक समृद्धि का कारक बनते हैं, युवाओं को उद्यमशीलता के प्रति जागरूक करने का कार्य भी करते हैं। देश में ऐसे भी कई उदाहरण हैं, जिन्होंने उच्च वेतन वाली भारतीय तथा विदेशी नौकरियों को छोड़कर नवाचार आधारित उद्यमों का निर्माण किया, जिसमे कृषि तथा खाद्य क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्र का युवा समृद्ध होता है तो राष्ट्र और समाज की समृद्धि और विकास होता है।

निष्कर्ष:-

प्राचीन भारतीय चिंतन तथा दर्शन में ज्ञान, प्रज्ञा तथा सत्य की खोज ही मानव मात्र का सर्वोत्तम उद्देश्य माना गया। भारतीय परंपरा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल अपना जीवनयापन करना ही नहीं था, अपितु स्वयं को जानना तथा मुक्त करना था। इतिहास साक्षी है की भारत में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वजनीन विश्वविद्यालय थे, जहाँ देश विदेश के छात्रों तथा छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन किया जाता तथा उन पर अनुसंधान और नवीन प्रयोगों को बढ़ावा दिया जाता था। भारतीय गुरुकुलों ने ही आर्यभट्ट, नागार्जुन, पाणिनी, पतंजलि, मैत्रेयी, गार्गी जैसे विद्वानों को उत्पन्न किया, जिन्होंने अपने नवाचरों और खोज द्वारा विश्व-ज्ञान में योगदान दिया। इस प्रकार के गौरवपूर्ण इतिहास वाले राष्ट्र भारत में जब शिक्षण संस्थान आधारभूत संरचना की कमी से जूझ रहे हों, शोध छात्रों को आर्थिक समस्याओं से दो-चार होना पड़े, स्नातक के बाद भी छात्र नौकरी के योग्य न समझे जाएँ और जहाँ विश्व रैंकिंग में केवल कुछ आई० आई० टी० संस्थान ही अपना स्थान बना पाएं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी तो अवश्य रह गई। हालांकि भारत की 200 वर्षों की परतंत्रता ने इसकी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। 1822 में जब ब्रिटिश सर्वे किया गया तो उसके अनुसार भारत शत प्रतिशत साक्षरता वल राष्ट्र था, किन्तु ब्रिटिश नीतियों ने भारत की शिक्षा पद्धति में व्यापक बदलाव किए। स्वतंत्रता के 76 वर्षों बाद भी हम उसी शिक्षा पद्धति को अपनाकर चल रहे हैं। अब इस शिक्षा पद्धति में व्यापक बदलाव अवश्यंभावी हैं।

भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के साथ पहले विद्यालयों तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करने का कार्य किया, फिर शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा इसे अनिवार्य बनाया गया। शिक्षण संस्थाओं की आधारभूत संरचनाओं को समयानुकूल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में विकसित करना, अनुसंधान तथा नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, सभी उच्च शिक्षण को नैक के अंतर्गत लाना, बहु विषयक विश्वविद्यालय तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नए मानक तैयार करना, उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए आयोगों का गठन आदि सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि शिक्षा मनुष्य में मनुष्यता का निर्माण करने वाली होनी चाहिए। भारत की नई शिक्षा नीति मनुष्य निर्माण वाली शिक्षा, जो सतत विकास में योगदान दे सकेय को बनाने के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है। इस नीति के कार्यान्वयन को किस प्रकार सफल बनाया जाएगा, यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ शिक्षण संस्थाओं पर भी निर्भर करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीरू.

1. Sustainable development goals official website https://sdgs.un.org/goals/goal4
2. Chakraborty, Soumitro, 'Skill development & education: Key to India's growth story', Times of India, August 31, 2020, https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/skill-development-education-key-to-indias-growth-story/

3. national achievement sarvey official website https://nas.gov.in/report-card/nas-2021
4. 15 initiatives taken by Central Government to improve teaching standards in India: HRD Minister, June 26, 2019, https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/15-initiatives-taken-by-central-government-to-improve-teaching-standards-in-india-hrd-minister-1556357-2019-06-26
5. SWAYAM official website https://swayam.gov.in/about
6. Sheikh, A. Y., (2017), 'Higher Education in India: Challenges and Opportunities', Journal of education and practice, vol. 8 no. 1, ISSN 2222-1735
7. Mohanty, Atasi (2018), 'Education for sustainable development: A conceptual model of sustainable education in India', International Journal of Development and Sustainability, vol. 7 no. 9, pp. 2242-2255, ISSN: 2186-8662 https://www.researchgate.net/publication/333133272
8. National Education Policy, 2020 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
9. National Policy for Skill Development and Entrepreneurship, 2015 https://www.msde.gov.in/sites/default/files/2019-09/National%20Policy%20on%20Skill%20Development%20and%20Entreprenurship%20Final.pdf